UPBN010039262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1409/2026

1–इमरान, 2–आमिल बनाम राज्य
मु०अ०सं०–379/2024
धारा–191(2), 191 (3), 190, 109, 115(2), 351(3), 117(2) बी०एन०एस०
थाना–सहसवान, जिला–बदायूँ।

17–06–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **इमरान व आमिल** की ओर से थाना–**सहसवान,** जिला–बदायूँ में पंजीकृत **मु०अ०सं०–379/2024, धारा–191(2), 191 (3), 190, 109, 115(2), 351(3), 117(2) बी०एन०एस०** के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से स्वयं के शपथ पत्र इस आशय के प्रस्तुत किये गये हैं कि यह उनका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस प्रार्थना पत्र से पूर्व कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान से खारिज नहीं हुआ और न विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा फिरासत द्वारा थाना–सहसवान, जिला–बदायूँ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी के पुत्र गौस मोहम्मद व भाई वासिद से तालिब पुत्र आकिल नि० मो० शाहबाजपुर व इमरान पुत्र अलाउद्दीन नि०मो० शाहबाजपुर हाल नि० मालवी नगर थाना मालवी नगर दिल्ली दिनाँक 23/07/2024 के मध्य कहासुनी हो गयी थी। इसी रंजिश को मानते हुए दिनांक 24/07/2024 को समय लगभग 4 बजे सहसवान बिसौली रोड पर नूरुद्दीन के पैट्रोल पंप से पहले चौराहे पर सहसवान की ओर कार से इमरान पुत्र अलाउद्दीन नि०मो० शाहबाजपुर थाना सहसवान जिला बदायूँ हाल नि० मालवीय नगर थाना दिल्ली व आमिल पुत्र लियाकत अपने–अपने हाथों से तंमचे लेकर व तबेश पुत्र आकिल व आदिल पुत्र लियाकत नि०मो० शाहबाजपुर थाना सहसवान अपने–अपने हाथों में चाकू लेकर व तालिब पुत्र आकिल नि०मो० शाहवाजपुर थाना सहसवान अपने हाथ में डंडा लेकर आ गये तथा प्रार्थी के भाई बासिद व पुत्र गौस मोहम्मद व मो० उमर जो अपने खेत पर जा रहे थे सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से घेर लिया तथा आदिल व तवेश ने अपने हाथ में लिए चाकुओं से व तालिब ने अपने हाथ में लिए डंडा से जान से मारने की नीयत से मारापीटा तभी मोहम्मद उमर जान बचाकर भागने लगा तभी आमिल ने इमरान से कहा ये भाग रहा है इसे जान से मार दो तो इमरान ने जान से मारने की नीयत से मोहम्मद उमर पर फायर मारा जो मोहम्मद उमर के चेहरे पर गोली लगी है, जिससे मोहम्मद उमर भयभीत होकर गिर गया। इस घटना को नूर मोहम्मद व मुस्तकीम ने देखा और बचाया और ये सब

पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। मुल्जिमान उपरोक्त को मरा जान कर छोड कर चले गए। प्रार्थी के भाई वासिद व पुत्र गौस मोहम्मद व मो० उमर की हालात गंभीर थी। उनका इलाज कराने व हालत में सुधार होने के बाद रपट को आया है। जिसकी संलग्नक जिला चिकित्सालय बदायूँ की मेडीकल रिपोर्ट है। निवेदन है कि प्रार्थी की रपट दर्ज कर मुल्जिमान के विरूद्ध कानूनी कारवाही करने की कृपा करें। वादी की तहरीर के आधार पर उक्त मामला अभियुक्तगण **इमरान, आमिल**, तबेश, आदिल व तालिब के विरूद्ध थाना –सहसवान, जिला–बदायूँ पर मु०अ०सं०–379/2024, धारा–191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 379/2024 अन्तर्गत धारा–191(2),191 (3),190,109,115 (2), 351 (3) बीएनएस थाना सहसवान पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण को झूठा अभियुक्त बनाया गया एवं विवेचना थाना हाजा की पुलिस द्वारा की जा रही है। जिसके कारण प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण गाँव मौहल्ले के सम्भ्रांत व्यक्ति है प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित घटना दिनांक 26.08.2024 की होना बतायी गई है। प्रार्थीगण के परिवार के फिरासत ने वादी एवं सह अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा दिनांक 11.08.2024 को पंजीकृत कराया था। जिसका अपराध सं0–369/2024 है। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा समझौता दिनांक 07.05.2024 को हो गया जिसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –528 बी०एन०एस०एस० नं0–49781/ 2025 है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी याचिका नं0–1418/2026 माननीय उच्च न्यायालय में वास्ते समझौता प्रस्तुत की जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई।कथित घटना में जो चोटें आयी हैं, जो साधारण प्रकृति की है तथा एक चोट जो आग्नेयास्त्र की भी साधारण प्रकृति की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों तथा बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में काफी विरोधाभास है तथा वादी द्वारा घटना के लगभग 15 दिन पश्चात् प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया। विवेचक द्वारा धारा–109 बी०एन०एस० का अपराध न बनने के कारण धारा 109 बी०एन०एस० को पृथक किया गया लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण आला अधिकारियों पर दवाब बनाकर पुनः धारा 109 बी०एन०एस० में विवेचना की गई। प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा–109 बी०एन०एस० के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है और न ही किसी भी दीगर केस में वांछित नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लिखायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समझौता हो चुका है। प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को दौराने मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा की जावें।

5– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा की जाये।

6– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

7– केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा फिरासत के पुत्र गौस मोहम्मद तथा भाई वासिद एवं अभियुक्तगण तालिब व इमरान के मध्य दिनाँक 23/07/2024 को कहा–सुनी हो जाने तथा इसी रंजिश के चलते दिनांक 24/07/2024 को समय लगभग 4 बजे सहसवान बिसौली रोड पर नूरुद्दीन के पैट्रोल पंप से पहले चौराहे पर सहसवान की ओर से अभियुक्तगण इमरान व आमिल अपने–अपने हाथों

तंमचे लेकर तथा तबेश व आदिल अपने–अपने हाथों में चाकू लेकर एवं तालिब अपने हाथ में डंडा लेकर आने तथा वादी के भाई बासिद, पुत्र गौस मोहम्मद व मो० उमर को एक राय होकर जान से मारने की नीयत से घेर लेने तथा आदिल व तवेश द्वारा अपने हाथ में लिए चाकुओं से तथा तालिब द्वारा अपने हाथ में लिए डंडा से जान से मारने की नीयत से मारने–पीटने एवं मोहम्मद उमर द्वारा जान बचाकर भागने लगने पर आमिल द्वारा इमरान से यह कहने कि ये भाग रहा है इसे जान से मार दो, तभी इमरान द्वारा जान से मारने की नीयत से मोहम्मद उमर पर फायर मारने जो मोहम्मद उमर के चेहरे पर लगने एवं जिससे मोहम्मद उमर का भयभीत होकर गिर जाने तथा घटना को नूर मोहम्मद व मुस्तकीम द्वारा देखने और बचाने तथा मोहम्मद उमर को मरा जान कर अभियुक्तगण द्वारा छोड कर चले जाने एवं मो० उमर की हालात गंभीर होने आदि तथ्य कहे गए हैं। पत्रावली पर **मजरूब मोहम्मद उमर** की मेडिकल रिपोर्ट में मजरूब के शरीर पर 04 चोटें आना दर्शित हैं, जिसमें चोट संख्या–3 व 4 को साधारण प्रकृति की होना दर्शित है तथा चोट संख्या–1 व 2 को जेरे निगरानी रखा गया और एक्स–रे की सलाह दी गयी। एक्स–रे रिपोर्ट में **Two Metalic density, Small, Spherical shadows in the soft tissues of the face. (Rt. Side)** होना उल्लिखित है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में भी मजरूब के चेहरे पर उक्त आग्नेयास्त्र की चोट होना उल्लिखित है तथा चोट की प्रकृति को साधारण प्रकृति की होना उल्लिखित है। **मजरूब गौस मोहम्मद** की मेडिकल रिपोर्ट में मजरूब के शरीर पर दो साधारण प्रकृति की चोट होना दर्शित है। **मजरूब बासिद अली** के शरीर पर **05 चोटें** आना दर्शित है, जिनमें चोट संख्या–2 व 3 को साधारण प्रकृति की होना उल्लिखित किया गया है तथा चोट संख्या–1, 4 व 5 को जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी। एक्स–रे रिपोर्ट में मजरूब के दाहिने हाथ में **Hairline Fracture Trapezium Bone Seen** होना उल्लिखित है तथा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में उक्त चोट को **Grievous in nature** होना उल्लिखित किया गया है।

8– उक्त पृष्ठभूमि में यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या –1418/2026 इमरान एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य योजित की गयी थी। यद्यपि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उक्त तथ्य का प्रकटीकरण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदकगण/अभियुक्तगण के शपथ–पत्रों में नहीं किया गया है, बल्कि शपथ–पत्र में लिखा गया है कि कुछ छिपाया नहीं गया है अर्थात उक्त रिट याचिका योजित करने एवं उक्त याचिका निरस्त होने के तथ्य को साशय छिपाया गया है। तथापि उक्त रिट याचिका निरस्त करने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित–09–03–2026 के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा समस्त प्रपत्रों के गहन अवलोकन के उपरांत अन्य के अतिरिक्त यह प्रेक्षण किया गया है कि " पूरक चिकित्सकीय आख्या के अनुसार धात्विक घनत्व की दो वस्तुएं चेहरे का एक्स–रे किए जाने पर प्रकट हो रही हैं, जो छोटी गोली छाया हैं और चेहरे के सॉफ्ट टिश्यू में है। यद्यपि उक्त चोट को साधारण प्रकृति की होना बताया गया है, परंतु रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार यह चोट आग्नेयास्त्र से कारित है। उक्त चोट भले ही बहुत गंभीर न हो, परंतु प्रहार निश्चित रूप से प्राणघातक प्रकृति का था। एक चुटैल को आग्नेयास्त्र की चोटें आयी हैं एवं यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आग्नेयास्त्र के छर्रे बहुत गहरे शरीर में न घुसे हों, परंतु हमले का आशय निश्चित रूप से जान से मारने का था, कोई भी दूसरे व्यक्ति पर हँसी मजाक करने के लिए आग्नेयास्त्र से प्रहार नहीं करता " जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि क्रास–केस संधि के आधार पर निस्तारित हो चुका है, उपरोक्त आदेश दिनांकित–09–03–2026 में ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्संबंध में यह प्रेक्षण किया गया है कि " दाण्डिक न्याय प्रणाली में पक्षगण के बीच संधि

संधारणीय नहीं है, जब तक कि वह विधिसम्मत न हो, इसके अतिरिक्त अपराध की प्रकृति इतनी सूक्ष्म नहीं है कि पक्षगण को संधि करने की स्वतंत्रता न्यायहित में प्रदान की जा सके, यह प्रकरण उक्त श्रेणी का नहीं है। '' प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका दर्शित की गयी है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त हैं। मामले के सहअभियुक्तगण **तालिब उर्फ मो० तालिब, तबेश उर्फ ताबिश खान व आदिल का** अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा **निरस्त** किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मेरे विचार से अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **इमरान व आमिल** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है ।

(कु० रिंकू)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode–UP06101

दिनांक–17–06–2026